

#867

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तोडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - करजासी)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 558/25 दापर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 05.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट
1	करजासी	463	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>पटवारी करजासी</p> <p>हस्ताक्षर भिस्तावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि 1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम खतासं 463 करजासी प.ह. करजासी में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल करजासी

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करजासी

कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

जिला- वित्तोडगढ